

मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर

क्रमांक 04-04/तृतीय उवेमा-41/

4255
आदेश


जबलपुर,दिनांक 13-12-2017

C.E. (Procurement)
M.P.P.T.C.L., Jabalpur
14 DEC 2017
R. No.

म0प्र0पॉ0ट्रा0कं0लि0 के आदेश क्रमांक AS/MPPTCL/II/3721-22 दि. 30-12-2015 के द्वारा तृतीय विकल्प उच्च वेतनमान (Third Time Scale Pay Higher Pay Scale on completion of 30 years service) का लाभ म0प्र0पॉ0ट्रा0कं0लि0 के कार्मिकों हेतु उक्त परिपत्र के साथ संलग्न Terms and conditions के प्रावधानों के अनुसार एवं तत्संबंध में पूर्ववर्ती म0प्र0रा0वि0मं0 के आदेशों/परिपत्रों/स्पष्टीकरण/नोटिफिकेशन आदि में किये गये प्रावधानों जिन्हें म0प्र0पॉ0ट्रा0कं0लि0 के द्वारा अपने कार्मिकों हेतु परिपत्र क्रमांक 1735 दिनांक 25.08.2005 एवं आदेश क्रमांक 2929 दिनांक 10.10.2012 द्वारा ग्राह्य किया गया है, तथा कंपनी के आदेश क्रमांक 1351 दि. 05.06.2012 द्वारा ग्राह्य पदोन्नति नियम एवं दिनांक 01.01.2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत किये जाने का अवसर प्रदान किया गया है। तदानुसार निम्नलिखित वरिष्ठ शीघ्रलेखकों को उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये विकल्प के अनुसार 30 वर्षीय तृतीय विकल्प, नियम के अंतर्गत निज सचिव के पद का उच्च वेतनमान, वेतन संवर्ग ओ-1, वेतन बैंड-3 में वेतनमान रु0 15600-39100/-सादृश्य ग्रेड वेतन रुपये 5400/- प्रतिमाह का लाभ, प्राप्त जानकारी /दस्तावेजों के आधार पर, उनके समक्ष दर्शायी गयी तिथि से इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि इस तिथि पर उनके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच लंबित नहीं थी एवं यह तिथि उनको प्रदत्त किसी भी विभागीय दण्डावधि की परिधि में नहीं आती है।

क्रमांक	कर्मचारी संख्या	कर्मचारी का नाम सर्व श्री	वर्तमान में पदस्थ	उच्च वेतन मान स्वीकृति की तिथि
1	Smt. Asha Nema	84973773	C.E. (Procurement) MPPTCL, Jabalpur	12/11/2017
2	Smt. Madhumita Mukherjee	89322118	C.E. (Plg & Design) MPPTCL, Jabalpur	13/11/2017
3	Smt. Sunita Porwal	86421532	S.E. (EHT-Constn.) Indore	14/11/2017
4	Smt. Usha Neelambaran	84978525	C.F.O. MPPTCL, Jabalpur	15/11/2017

उच्च वेतनमान की स्वीकृति का लाभ आगामी पद पर पदोन्नति या वरिष्ठता के लिए कोई अधिकार सुनिश्चित नहीं करता है।


मुख्य अभियंता (परीक्षण एवं संचार)
म0प्र0पॉ0ट्रा0कं0लि0, जबलपुर

क्रमांक 04-04/तृतीय उवेमा-41/
प्रतिलिपि :-

4256

जबलपुर,दिनांक

13-12-2017

- मुख्य अभियंता (मा.संसा.एव.प्रशा.)/ (प्रोक्योरमेंट)/ (अउदा-निर्माण)/ (योजना एवं रूपांकन) म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि., जबलपुर ।
- मुख्य वित्तीय अधिकारी म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि. जबलपुर ।
- अधीक्षण अभियंता (अउदा-निर्माण) म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि. इंदौर ।
- कार्यपालन अभियंता (बेबमास्टर) कार्यालय मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट) म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि. जबलपुर ।
- वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी, म0प्र0पॉ0मै0कं0लि0 जबलपुर ।

6. क्षेत्रीय लेखाधिकारी म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि., जबलपुर/इंदौर ।
7. निज सचिव कार्यालय प्रबंध निदेशक, म.प्र.पा.ट्रॉ.कं.लि., जबलपुर।
8. श्रीमति वरिष्ठ शीघ्रलेखक, द्वारा मुख्य अभियंता/
अधीक्षण अभियंता.....
- को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- अ. पदोन्नति का अवसर प्राप्त होने पर, पदोन्नति अस्वीकार करने/निर्धारित समय-सीमा में पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में म०प्र०पा०ट्रॉ०कं०लि० के आदेश क्रमांक 3721-22 दिनांक 30-12-2015 के प्रावधानों के अनुसार उच्च वेतनमान का लाभ वापस ले लिया जावेगा।
- ब. उक्त कर्मचारी के नियंत्रक अधिकारी से अनुरोध है कि वे आदेश अंग्रेषित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि उच्च वेतनमान की स्वीकृति की तिथि पर कर्मचारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित नहीं थी एवं वे दण्डावधि में नहीं थे। इसके साथ ही उपरोक्त कर्मचारी की सेवा पुस्तिका से यह भी जांच कर लें कि संबंधित कर्मचारी ने 30 वर्षीय तृतीय विकल्प नियम के तहत उच्च वेतनमान स्वीकृति की तिथि में गणना योग्य वांछित 30 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है एवं संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कार्यालयीन प्रक्रिया से संबंधित कोई अपराधिक प्रकरण नहीं है। तथा तृतीय विकल्प नियम के तहत उच्च वेतनमान स्वीकृति की तिथि तक उन्हें, आदेश क्रमांक 3721-22 दिनांक 30.12.2015 के प्रावधानों के अनुसार, मात्र दो ही अवसरों पर (पदोन्नति अथवा उच्चवेतनमान) वेतन उन्नयन (Fixation of pay) का लाभ प्राप्त हुआ है। यदि उपरोक्त किसी कर्मचारी को दो से अधिक अवसरों पर वेतन उन्नयन (Fixation of pay) का लाभ प्राप्त हो चुका है तब आदेश आवश्यक टीप के साथ इस कार्यालय को अविलंब लौटाना सुनिश्चित करें।
- स. उक्त कर्मचारी के अन्यत्र स्थानान्तरित होने की स्थिति में इस आदेश को इस कार्यालय को वापिस न कर, कर्मचारी के वर्तमान कार्यालय को प्रेषित किया जावे।

Shakhyawar
अधीक्षण अभियंता

कार्या० मुख्य अभियंता (परी० एवं संचार)
म०प्र०पा०ट्रॉ०कं०लि०, जबलपुर